अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान मुद्रा वाद संख्या– 15/2010–11

सिनेमा गिरी, वनाम एम०एस० कोसिम बाजार, चाईना स्ले माईन्स।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह वाद सिनेमा गिरी, पिता– स्व० नित्यानन्द गिरी, निवासी बड़ा कोसारी, पो०– बुधामारा, थाना– रोड़हान, जिला– मयूरभंज, उड़िसा द्वारा दिनांक– 08.10.2010 को 66,492.82 (छियासठ हजार चार सौ बानवे रूपये बयासी पैसे) वासूली हेतु यह मुद्रा वाद प्रतिवादी (देनदार) एम०एस० कोसिम बाजार, चाईना स्ले माईन्स (पी) ए०टी०डी०, 138 वीपलबी इसमारी वासु रोड़, तिसरी तल्ला कमरा संख्या– 301, कोलकत्ता–700001, पश्चिम बंगाल एवं समीत चन्द्र नानडे, पिता– सोमोन्द्र चन्द्र नानडे, Chief Executive एम०एल० कोसिम बाजार, चाईना स्ले माईन्स (पी) एल०टी०डी० कोसिम बाजार, कमरा संख्या– 302, आर्चाया प्रफुल चन्द्र रोड, कोलकत्ता–700001, पश्चिम बंगाल के विरूद्ध दायर किया गया है। वादी रेणुधर गिरी केस दायर करने के बाद एक बार भी न्यायालय में स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा कोई पैरवी नहीं करने के कारण न्यायालय से वादी के पते पर कई बार नोटिस अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। लेकिन सुनवाई हेतु किसी भी तिथियों पर अपना पक्ष रखने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। सिर्फ प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा ही हाजरी दी जाती है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति एवं अभिलेख में संलग्न साक्ष्य के आधार पर इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

02.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

02.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2021.12.09 12:12:17 +05:30
Location: 10.93.66.37

Scanned with CamScanner